स्कूलों में मासिक धर्म स्वास्थ्य: कल्याण से संवैधानिक अधिकार तक

UPSC प्रासंगिकता:

- **प्रारंभिक परीक्षा:** मौलिक अधिकार - अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) की व्याख्या।
- **मुख्य परीक्षा:** सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II (शासन व्यवस्था, संविधान और सामाजिक न्याय)।

IAS-PCS Institute

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि स्कूलों में मासिक धर्म स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) सुविधाओं तक पहुँच, संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत **'जीवन और गरिमा के अधिकार'** का एक अभिन्न अंग है। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्कूलों में सेनेटरी नैपकिन, कार्यात्मक शौचालय और सहायक बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि: एक संरचनात्मक असमानता के रूप में मासिक धर्म स्वास्थ्य

लंबे समय से मासिक धर्म को सार्वजनिक नीति और अधिकारों के बजाय एक निजी या कल्याणकारी मुद्दा माना जाता रहा है। NFHS के आंकड़ों के अनुसार, भारत में किशोरियों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी सुरक्षित मासिक धर्म उत्पादों और स्वच्छता सुविधाओं से वंचित है। स्कूलों में इस कमी के कारण लड़कियां पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं या स्कूल से अनुपस्थित रहती हैं, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियां।

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

समय के साथ, न्यायालयों ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार कर इसमें गरिमा, गोपनीयता और शारीरिक स्वायत्तता को शामिल किया है। यह निर्णय मासिक धर्म स्वास्थ्य को समान नागरिकता और शिक्षा तक पहुँच के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में मान्यता देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य टिप्पणियाँ

न्यायालय ने संवैधानिक रूप से कई महत्वपूर्ण बातें कहीं:

- **मानवीय गरिमा:** गरिमा कोई अमूर्त विचार नहीं है; यह उन स्थितियों में दिखनी चाहिए जहाँ व्यक्ति अपमान या बहिष्कार के बिना जी सके।

- **कलंक और रूढ़िवादिता:** सुविधाओं के अभाव में छात्राओं को कलंक, रूढ़िवादिता और गोपनीयता के नुकसान का सामना करना पड़ता है।
- **लैंगिक बाधा:** 'मासिक धर्म गरीबी' (Menstrual Poverty) एक ऐसी बाधा पैदा करती है जो निम्नलिखित का उल्लंघन करती है:
    - शारीरिक स्वायत्तता
    - निजता का अधिकार
    - अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार
- लड़कियों को शिक्षा और गरिमा में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर करना मौलिक रूप से अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक है।

IAS-PCS Institute

जारी किए गए प्रमुख निर्देश

इन अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय ने अनिवार्य निर्देश दिए हैं:

1. स्कूल बुनियादी ढाँचा

- सभी सरकारी, निजी, शहरी और ग्रामीण स्कूलों में लिंग-पृथक (लड़कों और लड़कियों के लिए अलग) कार्यात्मक
- शौचालयों का प्रावधान अनिवार्य है।
- पानी की उपलब्धता और स्वच्छतापूर्ण निपटान प्रणाली सुनिश्चित करना।

Result Mitra रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

2. उत्पादों तक पहुँच

- छात्रों के लिए मुफ्त 'ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल' सेनेटरी नैपकिन।
- प्राथमिकता के आधार पर ये उत्पाद शौचालय परिसर के भीतर लगी वेंडिंग मशीनों के माध्यम से दिए जाएँ।

3. 'MHM कॉर्नर'

- स्कूलों में 'MHM कॉर्नर' स्थापित किए जाने चाहिए जहाँ निम्नलिखित उपलब्ध हों:
    - अतिरिक्त सेनेटरी नैपकिन
    - अतिरिक्त अंतःवस्त्र (innerwear) और स्कूल यूनिफॉर्म
    - डिस्पोजेबल बैग और अन्य आवश्यक वस्तुएं

4. संवेदीकरण और सामाजिक परिवर्तन

- पुरुष शिक्षकों और छात्रों को मासिक धर्म को एक जैविक वास्तविकता के रूप में समझने के लिए प्रोत्साहित करना।
- उद्देश्य: उत्पीड़न, अपमानजनक सवाल और शर्मिंदगी को समाप्त करना।

5. RTE अधिनियम के तहत जवाबदेही

- सरकारी स्कूल: शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 19 के तहत राज्य की जवाबदेही।
- निजी स्कूल: नियमों का पालन न करने पर मान्यता रद्द होने का जोखिम।

व्यापक संवैधानिक और सामाजिक महत्व

यह निर्णय एक बड़े बदलाव का प्रतीक है:

- परोपकार-आधारित कल्याण से अधिकार-आधारित शासन की ओर।
- औपचारिक समानता से वास्तविक (Substantive) समानता की ओर।
- केवल स्वच्छता से शारीरिक स्वायत्तता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता की ओर।
- यह अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) और भारत की SDG 4, 5 और 6 के प्रति प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

- राज्यों की असमान क्षमता और धन की कमी।
- निजी स्कूलों के अनुपालन की निगरानी में कमी।
- गहरी सामाजिक वर्जनाएँ और सांस्कृतिक चुप्पी।
- परामर्श और संवेदीकरण के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव।

आगे की राह

- MHM को स्पष्ट रूप से 'समग्र शिक्षा अभियान' के साथ जोड़ना।
- स्कूल बजट में MHM बुनियादी ढाँचे के लिए समर्पित धन आवंटित करना।
- शिक्षकों और छात्रों के लिए 'जेंडर-संवेदीकरण' मॉड्यूल को संस्थागत बनाना।
- स्कूल निरीक्षण और सामाजिक ऑडिट के माध्यम से निगरानी को मजबूत करना।
- वर्जनाओं को तोड़ने के लिए सामुदायिक और अभिभावकों की भागीदारी को बढ़ावा देना।

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

निष्कर्ष

मासिक धर्म स्वास्थ्य को जीवन और गरिमा के अधिकार के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देकर, सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि संवैधानिक अधिकार कक्षाओं और शौचालयों जैसे रोजमर्रा के स्थानों में भी प्रभावी होने चाहिए। यह निर्णय केवल स्वच्छता के बारे में नहीं है—यह समानता, स्वायत्तता और न्याय के बारे में है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या सरकार अपनी घोषणाओं से आगे बढ़कर यह सुनिश्चित कर पाती है कि किसी भी बालिका को उसकी जैविक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित न होना पड़े।

IAS-PCS Institute

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन तक पहुँच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का हिस्सा है।
2. न्यायालय ने निर्देश दिया कि केवल सरकारी स्कूलों के लिए छात्रों को मुफ्त सेनेटरी नैपकिन प्रदान करना अनिवार्य है।
3. निर्णय में MHM सुविधाओं की कमी को छात्राओं की शारीरिक स्वायत्तता और निजता के अधिकार के उल्लंघन से जोड़ा गया।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 **B. केवल 1 और 3** C. केवल 2 और 3 D. 1, 2 और 3

सही उत्तर: B

प्रश्न 2. स्कूलों में मासिक धर्म स्वास्थ्य पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए:

1. स्कूलों में 'MHM कॉर्नर' की स्थापना।
2. निःशुल्क ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन का प्रावधान।
3. सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से लिंग-पृथक कार्यात्मक शौचालय।
4. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अनुपालन न करने पर निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करना।

उपर्युक्त में से कौन-से विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित या निहित थे?

A. केवल 1, 2 और 3 B. केवल 1, 3 और 4 C. केवल 2, 3 और 4 **D. 1, 2, 3 और 4**

सही उत्तर: D

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (GS-II / GS-IV)

प्रश्न: "मासिक धर्म स्वास्थ्य केवल स्वच्छता का मुद्दा नहीं है, बल्कि गरिमा, शारीरिक स्वायत्तता और वास्तविक समानता का प्रश्न है।" स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर हाल के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के संवैधानिक, शैक्षिक और सामाजिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए। जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाएं। (250 शब्द)

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806